संख्या-157/2021/1375/22-2-2021-21(33)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2021

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रविदास पुत्र श्री नारायण, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16599/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-07-07-2021) दिनांक-12-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रविदास पुत्र श्री नारायण, जो ग्राम-रिछा, थाना-पनवाड़ी, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बन्दी के पिता नारायण व अन्य का मुरलीघर, सुकिया, नन्दू व अन्य से जमीनी रंजिश चल रही थी। नारायन गांव के आदी कुमारी देवी मंदिर के पास घटना से 03 वर्ष पूर्व मकान बनाकर जानवर बांधने लगा था। नारायण के मकान के पास ही खाली जगह में सुकिया भी मकान बनाकर जानवर बांधने लगा था। नारायण अपने मकान के रास्ते से सुकिया व उसके परिवारवालों को निकलने से मना करता था। बन्दी ने दिनांक 03.08.1994 को विवाद बढ़ने पर 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी तमन्चा से मुरलीधर, सकिया व नन्दू सहित 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/1995, आईपीसी की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 02.11.1998 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.11.2001 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.11.2020 तक 25 वर्ष 07 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 11 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-महोबा, पुलिस अधीक्षक, जनपद-महोबा एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-महोबा ने भविष्य में अपराध कर सकने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 03.08.1994 को जमीनी रंजिश में विवाद बढ़ने पर 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी तमन्चा से मुरलीधर, सकिया व नन्दू सहित 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रविदास पुत्र नारायण को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: रिट याचिका (क्रिमि0) सं0-341/2020 परविन्दर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ संलग्न (TAG) रिट याचिका (क्रिमि0) सं0-360/2020 रविदास बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2020 के समादर में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रविदास (बन्दी संख्या-14592) पुत्र श्री नारायण, निवासी जनपद-महोबा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-157/2021/1375(1)/22-2-2021 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-157/2021/1375/22-2-2021-21(33)/2020

दिनांक 26 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रविदास पुत्र श्री नारायण, जो ग्राम-रिछा, थाना-पनवाड़ी, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बन्दी के पिता नारायण व अन्य का मुरलीघर, सुकिया, नन्दू व अन्य से जमीनी रंजिश चल रही थी। नारायन गांव के आदी कुमारी देवी मंदिर के पास घटना से 03 वर्ष पूर्व मकान बनाकर जानवर बांधने लगा था। नारायण के मकान के पास ही खाली जगह में सुकिया भी मकान बनाकर जानवर बांधने लगा था। नारायण अपने मकान के रास्ते से सुकिया व उसके परिवारवालों को निकलने से मना करता था। बन्दी ने दिनांक 03.08.1994 को विवाद बढ़ने पर 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी तमन्चा से मुरलीधर, सकिया व नन्दू सहित 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/1995, आईपीसी की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 02.11.1998 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.11.2001 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.11.2020 तक 25 वर्ष 07 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 11 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-महोबा, पुलिस अधीक्षक, जनपद-महोबा एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-महोबा ने भविष्य में अपराध कर सकने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 03.08.1994 को जमीनी रंजिश में विवाद बढ़ने पर 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी तमन्चा से मुरलीधर, सकिया व नन्दू सहित 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्टेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रविदास पुत्र नारायण को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in